

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
(मंत्रालय)

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 21/06/2019.


क्रमांक- 347 /सीसी/2019/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2019-20 में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) तथा बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये 'ऑनलाइन-काउंसलिंग' का अतिरिक्त चरण निम्नानुसार आयोजित किया जाता है :-

अतिरिक्त चरण हेतु काउंसलिंग के लिये महत्वपूर्ण तिथियां

क्रमांक	कार्यवाही	निर्धारित तिथियां	
		दिनांक से	दिनांक तक
1	तृतीय चरण के पश्चात् महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता	22.06.2019 शनिवार	
2	(अ) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आबंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।	23.06.2019 रविवार	26.06.2019 बुधवार
	(ब) अतिरिक्त चरण में आबंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन/वरीयता प्राप्त करना।		
	(स) नवीन एवं संशोधन करवाने वाले पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन	24.06.2019 सोमवार	27.06.2019 गुरुवार
3	नवीन पंजीकृत आवेदकों बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमशः फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	28.06.2019 शुक्रवार	29.06.2019 शनिवार
4	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	01.07.2019 सोमवार	
5	मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आबंटन	05.07.2019 शुक्रवार	
6	आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं यथास्थिति टी.सी./ माइग्रेशन प्रस्तुत करना	05.07.2019 शुक्रवार	10.07.2019 बुधवार

शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. जयश्री मिश्रा)  
अपर-सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग


पृ. क्रमांक- 348 /सीसी/2019/अड़तीस  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 21/06/2019.

1- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश।

2- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)।

- 3- स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
  - 4- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल (म०प्र०)।
  - 3- कार्यपालन अधिकारी, एम०पी० आनलाईन, भोपाल (म०प्र०)।
  - 4- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
  - 5- कुलसचिव, समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
  - 6- प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय/एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर, म.प्र.।
  - 7- एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
  - 8- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी.), भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अपर-सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग